(36)

<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प कोर्ट जबलपुर(म.प्र.)</u>

निग - 1115 - I - 16

राजस्व पुनरीक्षण क्र.–

(36)

1. श्रीमति सावित्री देवी कछवाहा पत्नी
   स्व. गया प्रसाद कछवाहा
2. विनय कछवाहा आत्मज गया प्रसाद कछवाहा
3. अमित कछवाहा आत्मज गया प्रसाद कछवाहा
   क्र. 1 से 3 निवासी ग्राम कटरा तह. जिला
   मण्डला (म.प्र.)
4. श्रीमति पूनम पटैल पत्नी मदन पटैल
   निवासी मदन महल स्टेशन के पास मदन महल,
   जबलपुर तहसील जिला जबलपुर (म.प्र.)
5. श्रीमति श्रृद्धा लाल पत्नी दिनेश लाल
   निवासी लक्ष्मी विहार कालोनी रामपुर, जबलपुर
   तहसील जिला जबलपुर (म.प्र.)
6. श्रीमति प्रतिमा कुशवाहा पत्नी राजकुमार कुशवाहा
   निवासी टेगौर गार्डन के पास, सदर जबलपुर
   तहसील जिला जबलपुर (म.प्र.) – पुनरीक्षणकर्तागण

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
2 9 MAR 2016
अधीक्षक

<u>विरूद्ध</u>

1. श्रीमति सुनीता कछवाहा पत्नी स्व. विजय
   कुमार कछवाहा
2. कु. गोपी उर्फ अश्ध्या कछवाहा आत्मज
   स्व. विजय कुमार कछवाहा आयु लगभग11वर्ष
   नाबालिग बली संरक्षक मां श्रीमति सुनीता
   कछवाहा क्रमांक 1 एवं 2 निवासी–वार्ड नं. 6,
   बरघाट तहसील जिला सिवनी (म.प्र.) – उत्तरवादीगण

राजस्व पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

पुनरीक्षणाधीन आदेश :—

श्री प्रवीण फुलपगारे अनुविभागीय अधिकारी मण्डला, (म.प्र.) ने राजस्व अपील क्रमांक 29(अ—6—अ)14—15 श्रीमति सुनीता कछवाहा विरूद्ध श्रीमति सावित्री देवी कछवाहा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05.02.16 जिसमें श्रीमति सुनीता कछवाहा वगैरह का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार करते हुए विलम्ब क्षमा कर अपील को अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है, के विरूद्ध।

प्रकरण के तथ्य :—

यह कि, उत्तरवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम कटरा प.ह.नं. 28 तहसील जिला मण्डला में स्थित भूमि ख.नं. 105/1, 105/2/2क, 140/1 एवं 105/6 क्रमशः रकवा 0.085, 0.975, 0.040 हेक्टे., जो कि स्व. गया प्रसाद कछवाहा के नाम से थी तथा गया प्रसाद कछवाहा की दिनांक 25.11.14 को मृत्यु हो जाने के कारण हल्का पटवारी द्वारा संशोधन पंजी क्रमांक 14 आदेश दिनांक 10.01.15 जिसके अनुसार गया प्रसाद कछवाहा की फौती काटकर पुनरीक्षणकर्तागण का नाम दर्ज किया गया है, के विरूद्ध श्रीमति सुनीता कछवाहा वगैरह द्वारा यह कहकर अपील पेश की है, कि वह मृतक गया प्रसाद कछवाहा के मृत पुत्र विजय कुमार कछवाहा की बेवा एवं पुत्री है तथा उनका नाम हल्का पटवारी द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण से दुरभि संधि करके दर्ज नहीं किया गया है जो नामांतरण नियमों की अवहेलना है।

अपीलार्थीगण ने अपील प्रस्तुति में हुए विलम्ब को ~~खम~~ क्षमा करने हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5, अवधि अधिनियम का अपील के साथ दिनांक 18.05.15 को पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें फौती दर्ज की जानकारी नहीं थी तथा दिनांक 06.04.15 को जानकारी लगाने पर हुई तथा उसी दिन नामांतरण पंजी की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन दी, जिसकी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–मण्डला/भू.रा./2016/ 1115

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
6/12/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, मण्डला के प्रकरण क्रमांक 29 अ–6–अ/14–15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5–2–16 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ प्रकरण की प्रचलनशीलता पर विचार करने पर स्थिति यह है कि भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य नहीं रही है। तद्नुसार निगरानी कलेक्टर जिला मण्डला की ओर निराकरण हेतु अंतरित की जाती है। आवेदक कलेक्टर मण्डला के न्यायालय में माह जनवरी, 2019 में उपस्थित होकर निगरानी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। C.F. 29/1/19 सदस्य	